ment for exemption from price control, alongwith (1) certificate from DISR, to the effect that the manufacturer has developed process through own R&D efforts or through a national laboratory and (2) necessary data to establish that the process to developed is significantly different from the known/available technology in the country leading to imports substitution cost reduction etc.

(c) and (d) As per records, 20 application have been received for exemption till 30th June, 1992. Out of which 14 have been issued exemption orders and one has been issued rejection letter on the ground that the proposal did not fulfil the requisite condition for grant exemption from price control.

भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हितग्राही व्यक्तियों के लिये धन उपलब्ध कराया जाना

129. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित 5 लाख लोगों की बजाय छः लाख पात्र हितग्राहियों के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए एक लाख हितग्राहियों के लिए सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी ; और

(घ) धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1984 में सूचित किया था कि भोपाल के गंभीर रूप से प्रभावित 36 म्यूनिसिपल वार्डों की जनसंख्या 4.83 लाख है । तदनुसार केंद्रीय सरकार ने 5 लाख लोगों के लिए अंतरिम राहत मंजूर की थी ।

व्यक्तियों की पहचान और करीब 5 लाख निवासियों को भुगतान कर/क्राप काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था तथा इसे जून, 1991 में पूरा कर लिया गया था और तब तक पुनरीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई थी तथा निर्णय की प्रतीक्षा थी । उच्चतम न्यायालय ने 3-10-91 को निर्णय घोषित किया और मुआवजे को निर्धारित करने के लिए अधिनिर्णय की कार्रवाई शीघ्रता से प्रारंभ करने के प्रयास किए गए थे । इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसी और व्यक्ति को अंतिरम राहत न देने का निर्णय लिया है ।

Outstanding dues towards fertilizer companies

130. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the outstanding dues towards fertilizer companies in subsidy account;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to enhance issue price of fertilizer; and

(c) if so, what is the present stage of consideration of this proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) The outstanding subsidy dues as on date are around Rs. 1670 crores on the basis of bills received from the fertilizer companies.

(b) Currently no such proposal is under consideration of the Government.